आजाद पार्क में मुफ्त सैर को सरकार ने दिया झटका

लगेगी इंट्री फीस

इलाहाबाद | वरिष्ठ संवाददाता

आजाद पार्क में मुफ्त प्रवेश की योजना को झटका लगा है। पार्क के रखरखाव के लिए सालाना करोड़ों रुपए देने से प्रदेश सरकार ने इनकार कर दिया।

पार्क के रखरखाव के लिए इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने शासन से सालाना लगभग तीन करोड़ रुपए देने की मांग की थी। पिछले दिनों एडीए के अधिशासी अभियंता रखरखाव की राशि के सिलसिले में लखनऊ गए। शासन ने पार्क के लिए रखरखाव की राशि देने से मना कर दिया।

एडीए ने 20 करोड़ से अधिक राशि खर्च कर पार्क का जीर्णोद्धार किया। पार्क के रखरखाव पर खर्च की राशि टिकट लगाकर वसूलने की योजना बनी। पार्क में टिकट लगाने का व्यापक विरोध देखते हुए एडीए ने रखरखाव की राशि शासन से देने की गुहार लगाई थी। अधिशासी अभियंता आरडी राय कहते हैं कि शासन से रखरखाव की राशि देने से इनकार के बाद उच्चाधिकारी पार्क में टिकट लगाने पर निर्णय लेंगे।

योजना

- पार्क के रखरखाव को आर्थिक मदद से सरकार का इनकार
- एडीए के अफसर अब लेंगे पार्क में टिकट लगाने पर निर्णय

शासन से मांगे थे 30 करोड़

एडीए ने आजाद पार्क के रखरखाव के लिए शासन से 30 करोड़ रुपए मांगे थे। एडीए चाहता था कि शासन से मिली राशि बैंक में सुरक्षित रखी जाएगी। राशि से मिलने वाले ब्याज रखरखाव पर खर्च होगा।

रखरखाव प्रभावित

रखरखाव का बजट नहीं होने के कारण पार्क की देखरेख पर असर पड़ने लगा है। एडीए देखरेख कर रहा है लेकिन आए दिन चोरी मुसीबत खड़ी कर रही है। बजट के अभाव में सुरक्षा गार्ड नहीं रखे जा रहे। सुरक्षाकर्मी नहीं होने से पार्क के अंदर लगातार सामानों की चोरी हो रही है।

हिन्दुस्तान 7/11/2016

अवैध हिस्सा स्वयं गिराने की शर्त पर खोली सील

इमामबाड़ा में व्यावसायिक निर्माण का मामला

शिकायकर्ताओं ने की हाईकोर्ट में पीआईएल, मंगलवार को सुनवाई की उम्मीद

इलाहाबाद (ब्यूरो)। चौक बताशी मंडी में पुरानी जीटी रोड पर स्थित इमामबाड़ा में अवैध रूप से हुए व्यावसायिक निर्माण की सील एडीए ने खोल दी है। एडीए ने सील इस शर्त पर खोली है कि इमामबाड़ा के मुत्तवल्ली ने प्रत्यावेदन देकर रोड वाइडनिंग एवं सेट बैक के अशमनीय हिस्से को स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देखरेख में स्वयं ध्वस्त कराया लिया जाएगा। इस संबंध में मुत्तवल्ली की ओर से एडीए में शपथ पत्र और स्ट्रक्चरल इंजीनियर का प्रमाण पत्र भी दिया गया है। इस बीच वक्फ संपत्ति को गलत तरीके से बेचने समेत अन्य मुद्दों को लेकर विरोध करने वालों ने हाईकोर्ट में पीआईएल भी कर दी है। इस पर मंगलवार को सुनवाई होने की उम्मीद है।

पुरानी जीटी रोड पर इमामबाड़े की जमीन पर व्यावसायिक इमारत बनाने को लेकर विवाद काफी दिनों से चल रहा है। इस जमीन को गलत तरीके बेचने का आरोप लगाकर कमिश्नर से अप्रैल में शिकायत की गई थी। इसके बाद कमिश्नर ने एडीए को कार्रवाई का आदेश दिया था। इसे लेकर विरोध प्रदर्शन, चौक कोतवाली का घेराव भी हो चुका है। वैसे एडीए ने अवैध रूप से हो रहे निर्माण के संबंध में पिछले वर्ष दिसंबर में ही निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किया था। आगे निर्माण न हो, इसके लिए थानाध्यक्ष कोतवाली को भी पत्र लिखा लेकिन निर्माण लगातार जारी रहा। जनवरी से अप्रैल तक कई पत्र भेज गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद एडीए ने सात मई को निर्माण सील कर दिया। इसके बाद सील तोड़कर निर्माण जारी रहा। एडीए ने 26 अगस्त को दोबारा इसे सील किया और पूरी कार्रवाई का हवाला देते हुए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखा। इस बीच इमामबाड़ा के मुत्तवल्ली ने 26 अक्तूबर को एडीए में आवेदन किया और मार्च 1994 के शासनादेश का हवाला देते हुए वक्फ बोर्ड के प्रोजेक्ट पर अनापत्ति प्रदान करने और सील खोलने की अनुरोध किया। निर्माण का मानचित्र भी दाखिल किया गया। इसके बाद 29 अक्तूबर को सशर्त सील खोलने का आदेश जारी कर दिया।

अमर उजाला 7/11/2016